दूरध्वनी : ९१-२२-२२६१४३९१
: ९१-२२-६६५६४०५१
फॅक्स नं. : ९१-२२-२२६१९०१६
ई-मेल : tm@mbptmail.com
Telephone : 91-22-22614391
: 91-22-66564051
Fax No. : 91-22-22619016
E-mail : tm@mbptmail.com

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
Mumbai Port Trust

कूट संख्या / Code No. 800600430004
D - 1417 - F
यातायात प्रबंधक का कार्यालय,
पत्तन भवन,
शूरजी वल्लभदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००१.
Traffic Manager's Office,
Port House,
Shoorji Vallabhdas Marg,
Mumbai - 400 001.

सं. टीएम/ए/15-33/28 30 नवंबर 2019

परिपत्र

अध्यक्ष,
मेरीटाईम असोसिएशन ऑफ नेशनवाईड शिपिंग एजेन्सीज- इंडिया (मान्सा)
अध्यक्ष,
बृहन्मुंबई कस्टम ब्रोकर्स असोसिएशन (बीसीबीए)
अध्यक्ष,
इंडियन मर्चंट चेंबर्स
अध्यक्ष,
बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅन्ड इंडस्ट्री
अध्यक्ष,
ऑल इंडिया इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स असोसिएशन
अध्यक्ष,
ऑल इंडिया पल्सेस अ‍ॅन्ड ग्रेन्स असोसिएशन

महोदय,

विषय:- **दरमानों (एसओआर) के अध्याय III की धारा 3.3 (ए) (II) के अंतर्गत 12बी आइडी अस्थायी शेड स्थित आयात दालों के लिए भंडारण सुविधा.**

मुंबई पोर्ट के जरिए आयात दालों की घटती यातायात धरती यातायात पर रोक लगाने के लिए ऑल इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन (आईपीजीए) ने गोदियों में 90 दिनों के लिए आयात दालों के भंडारण को अनुमति मिलने हेतु अनुरोध किया था. इस अनुरोध पर आईपीजीए के साथ चर्चा हुई थी तथा मुंबई पोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए दाल आयातकर्ताओं को उत्तेजन देने हेतु, आईपीजीए द्वारा स्थापित 12 बी आइडी अस्थायी शेड को दरमानों के (एसओआर) अध्याय IIकी धारा 3.3 (ए)(II) के प्रावधानानुसार भंडारण शुल्क की वसूली करके अधिकतम 60 दिनों तक के लिए भंडारण हेतु एक निर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में आबंटन करने के लिए विचार किया गया था.

2.1 आईपीजीए का अनुरोध मंडल के समक्ष रखा गया था तथा मंडल ने दिनांक 28/11/2019 की न्या. सं. सं. 220 द्वारा जहाज की व्हेसल कंप्लीशन डेट [जहाज सम्पूरण तिथि] (व्हीसीडी) से अधिकतम 60 दिनों तक भंडारण हेतु मुंपोट्र द्वारा निर्दिष्ट 12बी आइडी अस्थायी शेड में आयात दालों के भंडारण को अनुमोदन दिया. माल को जहाज के व्हीसीडी से 60 दिनों के लिए, विलम्ब शुल्क के बदले में, भंडारण शुल्क की वसूली करके भंडारित किया जायेगा. व्हीसीडी से 61 वें दिन के आगे माल पर दरमानों (एसओआर) के अध्याय III की धारा 3.1 (बी) में निर्दिष्ट दरों से विलम्ब शुल्क लगाया जायेगा.

2.2 संपूर्ण परेषण पर घाट शुल्क प्रभार जहाज से दालों की उतराई पूर्ण होने के पहले परेषिती/सीमाशुल्क बिचौलियों द्वारा अदा किया जायेगा.

3. इस सुविधा का लाभ पाने के लिए इस परिपत्र को आप के सदस्यों में व्यापक प्रसिध्दि दें ऐसा आपसे अनुरोध है.

भवदीय,

आशीष बोस

(ए. के. बोस)

यातायात प्रबंधक